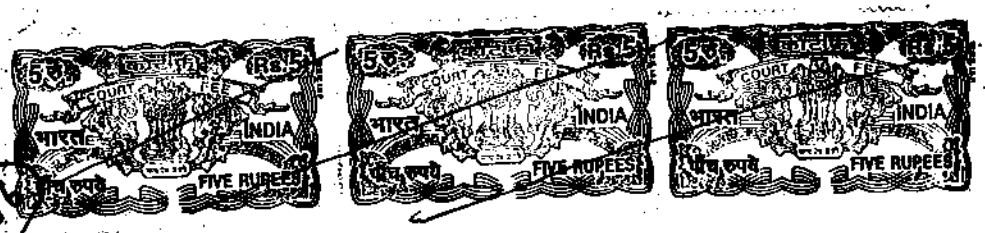

न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रं0 । 2009 निगरानी - 1376-I/09

श्री डी.एस. कुलश्री
अभिभाषक द्वारा पेश
आज पर प्रस्तुत
दि. 9/09

प्रभुलाल पिता मांगीलाल बागरी
निवासी ग्राम गोवर्धनपुरा तह0 सुवासरा
जिला मन्दसौर ------- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

नंदा पिता उदा जाति बागरी निवासी
ग्राम गोवर्धनपुरा तह0 सुवासरा जिला मन्दसौर
--- विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 सं0 1959 के विरुद्ध आदेश दि0 28-7-09 प्रकरण क्रं0 455।2005-06 अपील न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है ।

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :-

:1: यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधी व विधान के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

:2: यह कि ग्राम गोवर्धनपुरा तह0 सुवासरा जिला मन्दसौर स्थित सर्वे नं0 431 रकबा 9-045 आरे, सर्वे नं0 434 रकबा 2-90 है0 उक्त भूमि कंकुबाई के पति धूराजी के नाम पर थी, धूराजी की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि कंकुबाई के नाम पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई व कंकुबाई के आधिपत्य मे आई । कंकुबाई ने गोद पत्र व

(196)

(155)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-1376/एक/2009

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30-8-19 | आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 23/03/2010 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।<br><br>**(महेश चन्द्र चौधरी)**<br>**सदस्य** | |